न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 72/2019

1 रामचन्द्र पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी बधालो की ढ़ाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मालीराम पुत्र पन्नाराम।

2 भागुराम पुत्र पन्नाराम समस्त जाति जाट निवासीगण रणजीतपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर हाल आबाद ग्राम बधालों की ढ़ाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

3 कुरड़ाराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी बधालों की ढ़ाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

4 राज्य सरकार तहसीलदार दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

5 उप पंजियक पलसाना।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 सीकर पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार आर.ए.एस. पत्रावली संख्या 50/2016 प्रार्थना पत्र 212 उनवानी रामचन्द्र बनाम मालीराम आदि आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांकित 30.08.2019 ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 73/2019

1 रामचन्द्र पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी बधालो की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मालीराम पुत्र पन्नाराम।

2 भागुराम पुत्र पन्नाराम समस्त जाति जाट निवासीगण रणजीतपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर हाल आबाद ग्राम बधालों की ढ़ाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

3 कुरड़ाराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी बधालों की ढ़ाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

4 राज्य सरकार तहसीलदार दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

5 उप पंजियक पलसाना।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 सीकर पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार आर.ए.एस. पत्रावली संख्या 50/2016 प्रार्थना पत्र 212 उनवानी रामचन्द्र बनाम मालीराम आदि आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांकित 30.08.2019 ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 81 / 2019

1 मालीराम पुत्र पन्नाराम।
2 भागुराम पुत्र पन्नाराम समस्त जाति जाट निवासीगण रणजीतपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर हाल आबाद ग्राम बधालों की ढ़ाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपीलांट

बनाम

1 रामचन्द्र पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी बधालो की ढ़ाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 कुरड़ाराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी बधालों की ढ़ाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 राज्य सरकार तहसीलदार दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4 उप पंजियक पलसाना।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 सीकर पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार आर.ए.एस. पत्रावली संख्या 50 / 2016 प्रार्थना पत्र 212 उनवानी रामचन्द्र बनाम मालीराम आदि आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांकित 30.08.2019 ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री बजरंग लाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं ... सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 14.5.24

यह तीनों अपीले विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 50/2016 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। तीनों पत्रावलियों में विवादित भूमि एंव पक्षकार समान होने से तीनो पत्रावलियों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां तीनों पत्रावलियों में पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रामचन्द्र ने अप्रार्थीगण मालीराम वगैरह के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 5029/3147, 4922/3147 तन ग्राम बधालो की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के कथनों को अस्वीकार कर काउंटर टीआई प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 5029/3147 में अप्रार्थीगण के कब्जें में दखल देने से पाबंद करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी का आवेदन खारिज किया एवं अप्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर तादौराने वाद उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी की ओर से अपील संख्या 73/2019, 72/2019 प्रस्तुत की गई एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अप्रार्थी मालीराम, मागुराम की ओर से अपील संख्या 81/2019 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट रामचन्द्र ने तर्क दिया कि भू–प्रबन्ध से पूर्व मूल खसरा नम्बर 1027 के नवीन तीन खसरा नम्बर 1027/1, 1027/2, 1027/3 वने है। इनमें खसरा नम्बर 1027/2 रामचन्द्र के हिस्से में एवं 1027/1 रामचन्द्र व कुरडा के हिस्से में व 1027/3 कुरडाराम के हिस्से में आये है। विभाजन प्रस्ताव में 1027/2 उत्तर की तरफ रामचन्द्र का दर्शित किया गया है। खसरा नम्बर 1026 रामचन्द्र के खसरा नम्बर 1027/2 से सटा हुआ है। यह खसरा नम्बर अपीलांट का है। खसरा नम्बर 1026, 1027 के नये खसरा नम्बर नक्शा शीट में गलत अंकित किये गये हैं। राजस्व रिकार्ड में रकबा वरावर है किन्तु नक्शा शीट में अन्तर है। खसरा नम्बर 3147 का बटा नम्बर अपीलांट के नम्बर से ही वना है। विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य, जमाबंदी, नक्शा शीट, खसरा पत्रक का मिलान अवलोकन एवं विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाकर अपीलांट रामचन्द्र का आवेदन स्वीकार किया जावें एवं रेस्पोडेन्ट मालीराम का काउंटर टीआई खारिज किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट मालीराम वगैरह ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा नक्शा शीट में त्रुटि के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार नक्शा सही है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में रकबा पूर्ण होने का अपीलांट द्वारा कथन किया गया है। मौके पर भूमि कम होने का भी अपीलांट ने कथन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का अनुतोष यदि स्वीकार किया जाता है तो अपीलांट का रकबा 0.20 हेक्टेयर बढ़ जाता है व रेस्पोडेन्ट का कम हो जाता हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन विधि अनुसार स्वीकार्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

क्षति का बिन्दु अपीलांट के विरूद्ध एवं रेस्पोडेन्ट के पक्ष में मानते हुए अपीलांट का आवेदन खारिज किया है किन्तु काउंटर टीआई स्वीकार करने के बाद में भी उभयपक्षों को पाबंद कर दिया है। अतः अपील अपीलांट रामचन्द्र खारिज फरमाई जावें व अपील अपीलांट मालीराम वगै. स्वीकार की जाकर रामचन्द्र आदि को पाबंद किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 5029/3147 अपीलांट मालीराम वगैरह की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। खसरा नम्बर 3144, 3145, 4922/3147 कुरडा पुत्र जोधा की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 3146 रामचन्द्र पुत्र रामेश्वर एवं कुरडा पुत्र जोधा की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 3147 रामचन्द्र पुत्र रामेश्वर की खातेदारी में दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 5029/3147 एवं 4922/3147 के संदर्भ में उभयपक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है।

जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 5029/3147 व 4922/3147 के संदर्भ में उभयपक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का प्रश्न है। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजस्व नक्शे में गत एवं हाल में हुये इन्द्राजात में विभिन्नता को लेकर विवाद है। इस विवाद का निस्तारण मूल वाद में होना शेष है। तब तक आवेदनकर्ता अपीलांट के पक्ष में राजस्व नक्शों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर रामचन्द्र द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 72/2019 एवं 73/2019 स्वीकार की जाती है एवं मालीराम वगैरह द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 81/2019 खारिज की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं ताफैसला वाद उभयपक्ष को इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि खसरा नम्बर 5029 / 3147, 4922 / 3147 तन ग्राम भदालों की ढ़ाणी तहसील दांतारामगढ़ के गत नक्शा सीट मौजा पलसाना जागीर संवत 1984 सन 1927 से 1928 में दर्ज विवादित भूमि के नक्शे की आकृति के अनुसार उभयपक्ष मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें।

निर्णय आज दिनांक 14.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
–सीकर